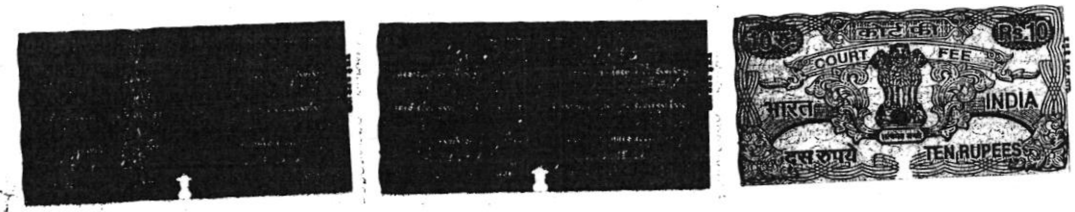

(92)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2017निगरानी I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/6385

श्री .... द्वारा आज दि. 29-12-017 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-1-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

कमर सिंह पुत्र श्री बारेलाल आयु 65 साल जाति दांगी धंधा खेती निवासी ग्राम छापखेडा तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

...... आवेदक

बनाम

1. सावित्रीबाई पुत्र श्री इमरत सिंह पत्नी श्री उत्तम सिंह आयु 61 साल जाति दांगी निवासी ग्राम चिरावटा तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा
2. लच्छोबाई पुत्र इमरत सिंह आयु 56 साल पत्नी भगवान सिंह जाति दांग्री निवासी ग्राम नानूखेडी तहसील बासौदा जिला विदिशा
3. वीरेन्द्र सिंह पुत्र उधम सिंह आय 51 साल , जाति दांगी निवासी ग्राम रोशन पिपरियचा तहसील कुरवाई जिला विदिशा
4. गंधर्व सिंह पुत्र श्री देवी सिंह आयु 51 साल जाति ~~आमंधी~~ दांगी निवासी ग्राम छापखेडा तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक

307/ अपील / 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

1. यहकि, ग्राम छापखेडा प.ह.नं. 30 तहसील व जिला विदिशा स्थित भूमि आ.क्र. 10, 171, 198, कुल रकवा 5.279 हे. आवेदक के स्वत्व आधिपत्य की भूमि है और उक्त भूमि आवेदक को नामान्तरण पंजी क्रमांक 12 आदेश दिनांक 5.2.1990 के द्वारा प्राप्त हुई थी और उक्त दिनांक से अपीलांट काबिज होकर मालिक है।

2. यहकि, उक्त भूमि पैत्रक भूमि थी एवं आवेदक के दादाजी के लडके इमरत सिंह के नाम पर हिस्से से अधिक भूमि थी उन्होने ही अपनी पूर्ण सहमति से सभी के नाम बराबर भूमि करने के उद्वेश्य से यह बंटवारा कर आवेदक को भूमि दी थी। इमरत सिंह ने अपने हिस्से की भूमि अपने नाम कररंख ली थी और वह भूमि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 को प्राप्त हई है।

3. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा उक्त बंटवारा पंजी क्रमांक 12आदेश दिनांक 15.02.21990 के विरूद्व सन 2016 में माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। जिसमें माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.11.2017 को विधि विरूद्व जाकर आवेदकका बंटवारा नामान्तरण निरस्त कर दिया है। जिससे दुखी होकर आवेदक द्वारा

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/6385 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.01.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह निगरानी अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 25.11.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को ग्राह्य करते हुए अभिलेख बुलाए जाने के आदेश दिए हैं तथा आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया है। स्थगन देना या न देना न्यायालय का विवेकाधिकार है। अपर आयुक्त ने सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नहीं पाया है। प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर अधीनस्थ न्यायालय में होना है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती हैं। प्रशासकीय सदस्य	